बेटर स्टार्ट तक पहुँच किस प्रकार प्राप्त करें

बेटर स्टार्ट तक पहुँच प्राप्त करने के लिए, पात्र रोग-निदान वाले बच्चों के 6 वर्ष की आयु के होने से पहले पंजीकरण के सभी मानदंडों को पूरा करना और उनका पंजीकृत हुआ होना आवश्यक है। फंडिंग को प्राप्त करने के लिए परिवारों के पास बच्चे/बच्ची के 7 वर्ष की आयु के होने तक का समय होगा।

आंकलन एवं पंजीकरण

बेटर स्टार्ट के साथ पंजीकृत होने के लिए, आपके बच्चे/आपकी बच्ची की पात्रता का आंकलन किया जाना और इसका पंजीकरण एवं सूचना सेवा (Registration and Information Service - RIS) द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक होता है।

आंकलन आमने-सामने, टेलीफोन, इंटरनेट, ई-मेल या किसी वीडियो लिंक के द्वारा किया जा सकता है। इस आंकलन पर बच्चे/बच्ची के माता-पिता या देखभाल-कर्ता के लिए पंजीकरण एवं सूचना सलाहकार (Registration and Information Adviser) को दस्तावेज़ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, यह सलाहकार प्रक्रिया के बारे में आपसे बातचीत करेगा।

आपके पात्रता आंकलन को आंका जाएगा और इसकी पुष्टि होने पर, जितनी जल्दी हो सके आपके बच्चे/आपकी बच्ची को बेटर स्टार्ट के लिए पंजीकृत किया जाएगा।

रेफरल

एक बार स्वीकृत किए जाने के पश्चात, आपको एक पत्र मिलेगा जो आपके बच्चे/आपकी बच्ची के बेटर स्टार्ट के साथ पंजीकृत किए जाने की पुष्टि करेगा। आपके बच्चे/आपकी बच्ची के लिए प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं के बारे में सूचना प्रदान करके आपका RIS सलाहकार आपकी सहायता कर सकता है।

बेटर स्टार्ट से संपर्क करने और इसके साथ पंजीकरण करने के लिए अपने राज्य या टेरेटरी की केयरर्स एसोसिएशन **(Carers Association)** को **1800 242 636** पर फोन करें।

और अधिक जानकारी के लिए **www.betterstart.net.au** वेबसाइट देखें

CARERS ACT
फोन (02) 6296 9900
betterstart@carersact.asn.au
www.carersact.asn.au

CARERS NSW
फोन (02) 9280 4744
betterstart@carersnsw.asn.au
www.carersnsw.asn.au

CARERS NT
फोन (08) 8944 4888
carersnt@carersnt.asn.au
www.carersnt.asn.au

CARERS QLD
फोन (07) 3900 8100
betterstart@carersqld.asn.au
www.carersqld.asn.au

CARERS SA
फोन (08) 8291 5600
betterstart@carers-sa.asn.au
www.carers-sa.asn.au

CARERS TAS
फोन (03) 6231 5507
betterstart@carerstas.org
www.carerstas.org

CARERS VIC
फोन 03 9396 9500
betterstart@carersvictoria.org.au
www.carersvictoria.org.au

CARERS WA
फोन 08 9228 7400
betterstart@carerswa.asn.au
www.carerswa.asn.au

अन्य संपर्क सूचना

Australian Government
Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs

Carers AUSTRALIA

CRE8IVE 12532-0113

HINDI

विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए बेटर स्टार्ट (बेहतर शुरूआत)

पंजीकरण एवं सूचना सेवा (Registration and Information Service - RIS)

इस बात का पता लगाएं कि क्या आप पात्र बच्चों के लिए प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं व उपचार के लिए फंडिंग में $12,000 तक की राशि प्राप्त कर सकते/सकती हैं?

BETTER START

फोन 1800 242 636
www.betterstart.net.au

57824 Better_Start_Brochure Hindi.indd 1
4/06/13 11:13 AM

बेटर स्टार्ट क्या है?

बेटर स्टार्ट ऑस्ट्रेलियन सरकार की एक पहल है जो परिवारों, आवास, सामुदायिक सेवाओं व देशीय मामलों के विभाग (Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs - FaHCSIA) द्वारा वित्त-पोषित की जाती है।

पंजीकरण एवं सूचना सेवा (Registration and Information Service - RIS) माता-पिता व देखभाल-कर्ताओं को बेटर स्टार्ट पंजीकरण तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवा के विकल्पों के बारे में सूचना प्रदान करके उनकी सहायता करती है।

RIS सेवा प्रत्येक राज्य व टेरेटरी में केयरर्स एसोसिएशन के योग्य कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रमाण दर्शाते हैं कि लक्षित प्रारम्भिक हस्तक्षेप विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए उन्हें स्कूल में अवस्थांतर करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है।

बेटर स्टार्ट के साथ पंजीकृत बच्चे पंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का भुगतान करने के लिए फंडिंग में $12,000 तक की राशि (प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम $6,000 तक) प्राप्त कर सकते हैं।

बाहरी क्षेत्रीय या दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परिवार $2,000 के अतिरिक्त एकबारगी सहायता भुगतान के पात्र हो सकते हैं। यह भुगतान सेवाओं को प्राप्त करने से संबंधित यात्रा व घर पर देखने आने जैसे अतिरिक्त खर्चों में सहायक होगा।

इस अतिरिक्त भुगतान के लिए पात्रता का आंकलन आपके द्वारा बेटर स्टार्ट के साथ पंजीकरण करने के समय किया जाता है।

फंडिंग के बारे में

फंडिंग का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उन प्रारम्भिक हस्तक्षेप व्यवसायियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है जो बेटर स्टार्ट एर्ली इन्टर्वेंशन सर्विस प्रोवाइडर पैनल के सदस्य होते हैं।

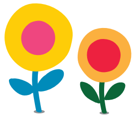

इस पैनल में शामिल व्यवसायियों में निम्नलिखित शामिल हैं पर पैनल इन तक ही सीमित नहीं है:

- स्पीच पैथालॉजिस्ट (वाक चिकित्सक)
- ऑडियोलॉजिस्ट
- आक्यपेशनल थेरेपिस्ट (व्यावसायिक चिकित्सक)
- फिजियोथेरेपिस्ट (भौतिक चिकित्सक)
- साइकोलोजिस्ट (मनोवैज्ञानिक)
- ओरथोप्टिस्ट
- बधिर लोगों के शिक्षक
- ऑप्टोमेट्रिस्ट

पात्र कौन होता है?

बेटर स्टार्ट फंडिंग के पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे/बच्ची की आयु छ: वर्ष से कम हो और उसमें निम्नलिखित विकलांगताओं में से किसी विकलांगता का रोग-निदान किया गया हो और वह अपेक्षित सीमाओं को पूरा करता/करती हो।

पात्रता की सीमाएं लागू हैं। ये सीमाएं FaHCSIA द्वारा एक विशेषज्ञ संदर्भ समूह के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई हैं और विकलांगता व देखभाल-कर्ता संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary for Disability and Carers) द्वारा इनका समर्थन किया जाता है।

जिन बच्चों में नीचे सूचीबद्ध विकलांगताओं का रोग-निदान किया गया हो, वे बेटर स्टार्ट के पात्र होते हैं।

Angelman सिंड्रोम
सेलेब्रल पाल्सी
CHARGE सिंड्रोम
Cornelia de Lange सिंड्रोम
Cri du Chat सिंड्रोम
मोज़ेइक डाउन सिंड्रोम सहित डाउन सिंड्रोम
Fragile X सिंड्रोम
पूर्ण उत्परिवर्तन के साथ Fragile X सिंड्रोम, इसमें mosaicism शामिल है।
Kabuki सिंड्रोम
Prader-Willi सिंड्रोम
Smith-Magenis सिंड्रोम
Williams सिंड्रोम।

सीमाएं निम्नलिखित विकलांगताओं पर लागू हैं:

सुनने की शक्ति से संबंधित विकार

बच्चे उस परिस्थिति में पात्र होंगे यदि उनके दोनों कानों में बहरापन हो जो निम्नलिखित दो मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता हो:

- स्थायी चलित (कंडक्टिव) या संवेदनतंत्रीय (सेंसरिन्युरल) बहरापन जिसमें अधिक श्रवण-शक्ति वाले कान में चार आवृत्ति औसतन बहरापन* (four frequency average hearing loss*) 40dBHL या इससे अधिक हो।
- दोनों कानों में ऑडिटरी न्यूरोपेथी स्पेक्ट्रम डिसार्डर रोग निदान किया जाना

* चार आवृत्ति औसतन बहरापन (four frequency average hearing loss) 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz तथा 4000 Hz पर सुनने की शक्ति की सीमाओं के औसत को दर्शाता है।

माइक्रोसिफेली

माइक्रोसिफेली का रोग-निदान जो तीसरे प्रतिशतक से कम के सिर के घेरे पर और ग्रीफिथ्स मेंटल डिवेलपमेंट स्केल्स (Griffiths Mental Development Scales) या बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट डिवेलपमेंट (Bayley Scales of Infant Development) पर आयु के मध्यमान से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कम के कार्यात्मक स्तर या इससे कम पर आधारित हो।

दृष्टि संबंधी विकार

बेटर स्टार्ट की पात्रता के लिए दृष्टि संबंधी विकार की सीमा 6/18 से कम या इसके बराबर अथवा शोधन वाली बेहतर आँख में इसके समान फील्ड अभाव (आँख का रोग या विकार)।

बहुत छोटे बच्चों और कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियों से ग्रस्त बच्चों पर शर्ते लागू होती हैं जो जांच के दौरान उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं, जिसके फलस्वरुप विकार के सही स्तर का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है। अपने स्थानीय RIS सलाहकार से बात करें।

डीफब्लाइंडनेस (बहरापन-अंधापन)

नेत्र व श्रवण संबंधी जाँच को शामिल कर एक स्पेशलिस्ट मल्टी-डिस्पलनरी टीम द्वारा डीफब्लाइंडनेस का रोग-निदान किए जाने वाले बच्चे (इसलिए सीमा हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है) पात्र होंगे।

57824 Better_Start_Brochure Hindi.indd 2
4/06/13 11:13 AM